संख्या- 119/2016/470/22-4-16-140(ब)/97

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 05 अगस्त, 2016

विषय- जनपद महोबा में जिला कारागार के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था हेतु धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11341/नम-2, दिनांक-12 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद महोबा में जिला कारागार के निर्माण के लिए मौजा-बिलबई, तहसील-महोबा में चयनित कुल 23.210 हे0 भूमि (ग्राम सामाज की 14.603 हे0+कृषकों की 8.607 हे0 भूमि) जिसमें 14 कृषकों की 8.607 हे0 भूमि का मूल्य रू0 4,47,56,400/- एवं भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य रू0 3,40,969/- तथा रजिस्ट्री हेतु देय निबन्धन शुल्क रू0 2,21,100/- अर्थात कुल रू0 4,53,18,469/- (रूपया चार करोड़ तिरपन लाख अठ्ठारह हजार चार सौ उन्हत्तर मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2016 तक कर लिया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-119/2016/470(1)/22-4-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, महोबा।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।